

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार / केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री मोफलसिंह (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा


प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि० 14-5-18
फैसल दि० 14-5-18

श्री ~~स्वयं पिता का लक्ष्मी~~ अनवान
~~भरत कुमार | कासुदेव का~~ बनाम श्रीम. चारी तहसीलदार
(वादी) (प्रतिवादी) सागवाडा

वादी श्री भरत कुमार | कासुदेव का वमासा ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा वमासा के खाता नम्बर 222 जमाबन्दी सं० 2073-76
में अंकित स्वयं/पिता का नाम भरत कुमार | कासुदेव का वमासा
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम भरत कुमार
कासुदेव का वमासा है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम भरत कुमार
कासुदेव का वमासा दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम भरत कुमार | कासुदेव का
वमासा होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार दृसागवाडा/मलियाकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा वमासा की जमाबन्दी संवत 2073-76
के खाता संख्या 222 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम भरत कुमार में संशोधन कर सही नाम
भरत कुमार दर्ज रेकार्ड किया जावे ।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।


उपखण्ड अधिकारी